कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 53 / 2018 / 10–11 / 15 / 4347 भोपाल, दिनांक 23/12/22

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला शिवपुरी के अंतर्गत सरकुला मीडियम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 126.42 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-31/2021-FC दि. 26.09.2022

––00––

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से प्रकरण मे चाही गई अतिरिक्त (v) बिन्दुओं जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त कर बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्रं.	चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
i	As per details available in the Part-II of the online application form, the Eco class is mentioned as 3 and the density of proposed forest land is reported as 0.4. However the amount as deposited by user agency for N.P.V is calculated for Open Category. The actual amount of NPV as per Ministry's guideline dated 06.01.2022 is required to be deposited.	प्रस्ताव में उल्लेखित वनभूमि पर वनमण्डलाधिकारी द्वारा घनत्व 0.4 अंकित किया है। विभाग में 0.4 तक के घनत्व के वनों को खुले वन (Open Forest) की श्रेणी में लिया जाता है। तदानुसार ही प्रकरण में नेट प्रजेंट वैल्यू खुले वन के अनुसार ली गई है। प्रकरण में प्रभावित वनभूमि का DSS Analysis भी कराया गया है। आवेदित क्षेत्र का औसत घनत्व 0.2824 पाया गया। DSS Analysis तथा औसत घनत्व का गणना पत्रक परिशिष्ट–1 में संलग्न है।
ii	The copy of Government of Madhya Pradesh order dated 22.04.2016 shall be submitted.	मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय विभागों से विदोहन शुल्क न लेने के संबंध में जारी आदेश परिशिष्ट–2 में संलग्न है।
iii	The copy of records showing that the non-forest land identified for Compensatory Afforestation is transferred and mutated in favour of the State Forest Department and the same has been notified as PF/RF shall be submitted.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि को राज्य शासन के आदेश दिनांक 22.12.2022 से संरक्षित वन घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–3 में संलग्न है।

iv	The records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committees(s) i.e. Gram Sabha, Sub-Division Level Forest Rights Committee and Divisional Level Forest Rights Committee have not been submitted.	आवेदक संस्था द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत की गई कार्यवाही की छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गई है, जो परिशिष्ट–4 में संलग्न है।
v	The KML files of degraded forest area patches identified to accommodate the balance saplings have not been uploaded on e- Green Watch portal. The same shall be uploaded on e-Green watch portal.	प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की KML फाईल ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड पूर्व में ही की जा चुकी है। प्रस्ताव में बिगड़े वनों में रोपण हेतु चयनित कक्ष क्रमांक 885 की 50 हेक्टेयर, कक्ष क्रमांक 432 की 27 हेक्टेयर तथा कक्ष क्रमांक 1057 की 50 हेक्टेयर भूमि की KML फाईल ई–ग्रीनवॉच पर अपलोड कर दी गई है तथा इस संबंध में ई–ग्रीनवॉच पोर्टल से डाउनलोड की गई रिपोर्ट परिशिष्ट–5 में संलग्न है।

अतः उपरोक्त जानकारी संलग्न कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

23/12/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 53 / 2018 / 10–11 / 15 / 4348 भोपाल, दिनांक 23/12/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

23/12/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

পরিশিষ্ট -1

Annexure - 1

Category	Area	Density	Avg. density	Total value
Water	7	0	0	0
Non-forest	22	0	0	0
Open forest	61	0.1 to 0.4	0.25	15.25
MDF	38	0.4 to 0.7	0.55	20.9
Total	128			36.15
Average density	36.15/128 = 0.2824			

SARKULA PROJECT

Patch	MDF	NON FOREST	OPEN FOREST	WATER	Total
1 (Submergence)	32	22	57	7	**118**
2 (control room)	0	0	1	0	**1**
3 (Dam line)	4	0	1	0	**5**
4 (HT line)	0	0	1	0	**1**
5 (Rising main)	0		0.24	0	**0.24**
6 (Road)	1	0	0	0	**1**
7 (Spillway)	1	0	1	0	**2**
	38	**22**	**61.24**	**7**	**128.24**

Patch-1

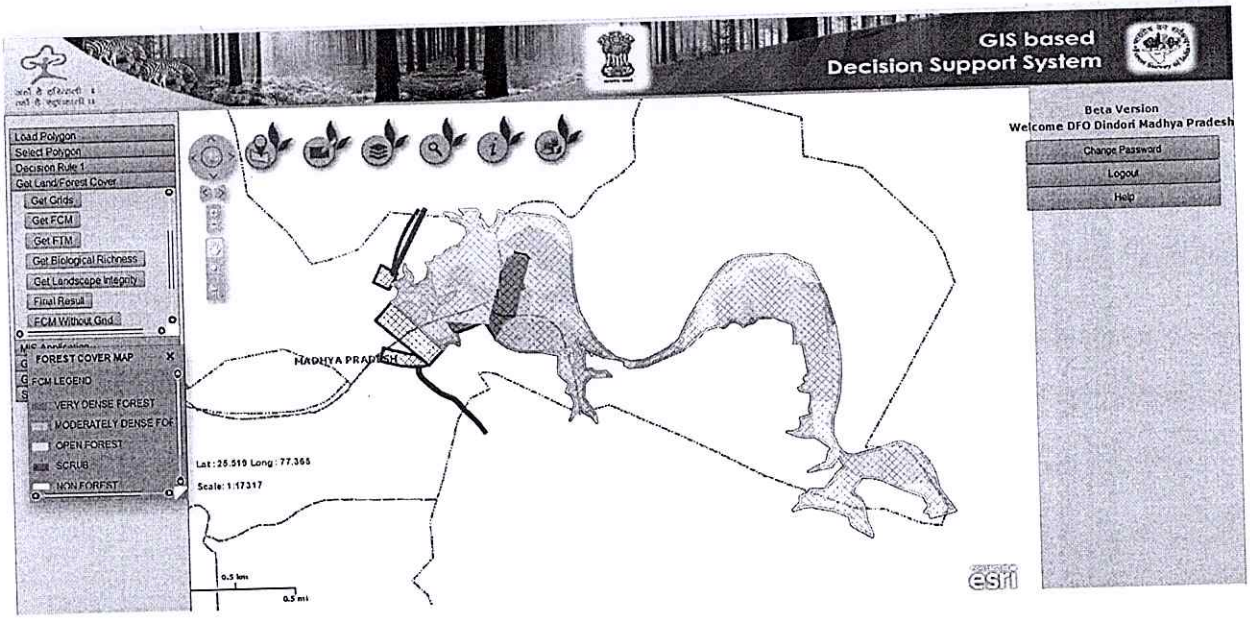

Forest Cover Map

FCM Without Grid Result

MDF	NON FOREST	OPEN FOREST	WATER
0.32	0.22	0.57	0.07

All results are in Square Kilometer.

Patch-2

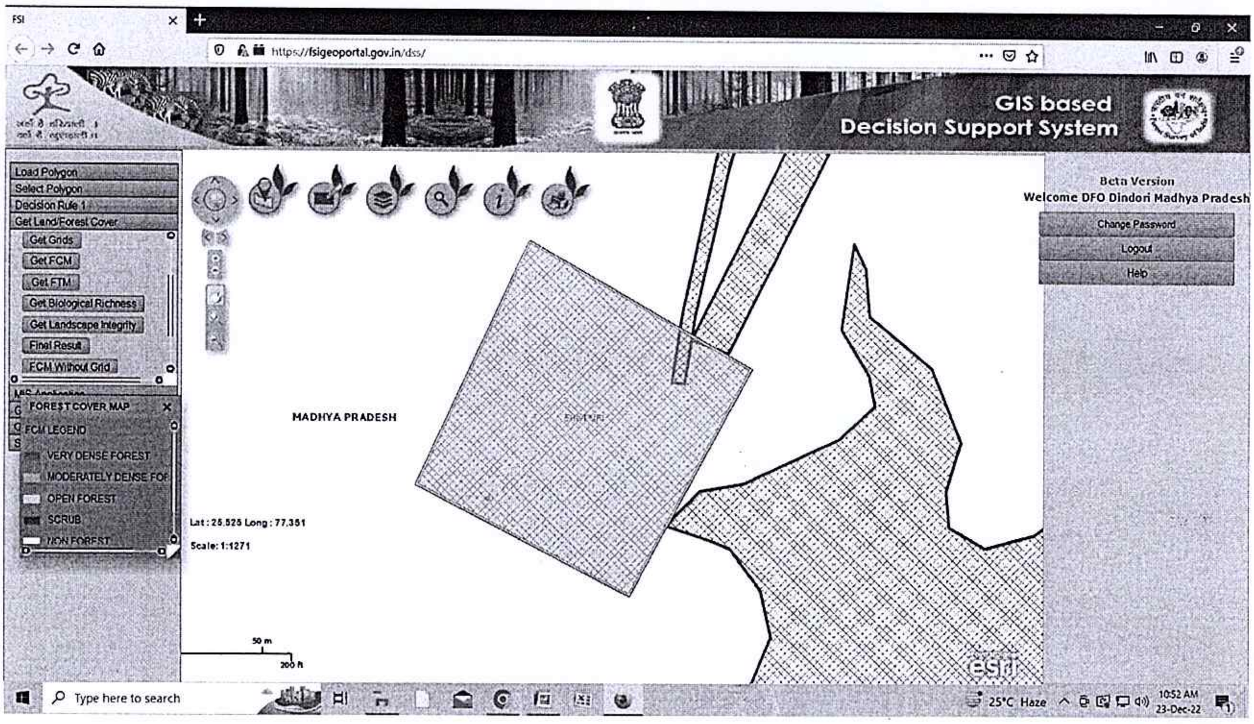
https://fsigeoportal.gov.in/dss/
GIS based
Decision Support System
Beta Version
Welcome DFO Dindori Madhya Pradesh
Change Password
Logout
Help
Load Polygon
Select Polygon
Decision Rule 1
Get Land/Forest Cover
Get Grids
Get FCM
Get FTM
Get Biological Richness
Get Landscape Integrity
Final Result
FCM Without Grid
FOREST COVER MAP
FCM LEGEND
VERY DENSE FOREST
MODERATELY DENSE FOR
OPEN FOREST
SCRUB
NON FOREST
MADHYA PRADESH
Lat : 25.525 Long : 77.351
Scale: 1:1271
50 m
200 ft
esri
Type here to search
25°C Haze
10:52 AM
23-Dec-22

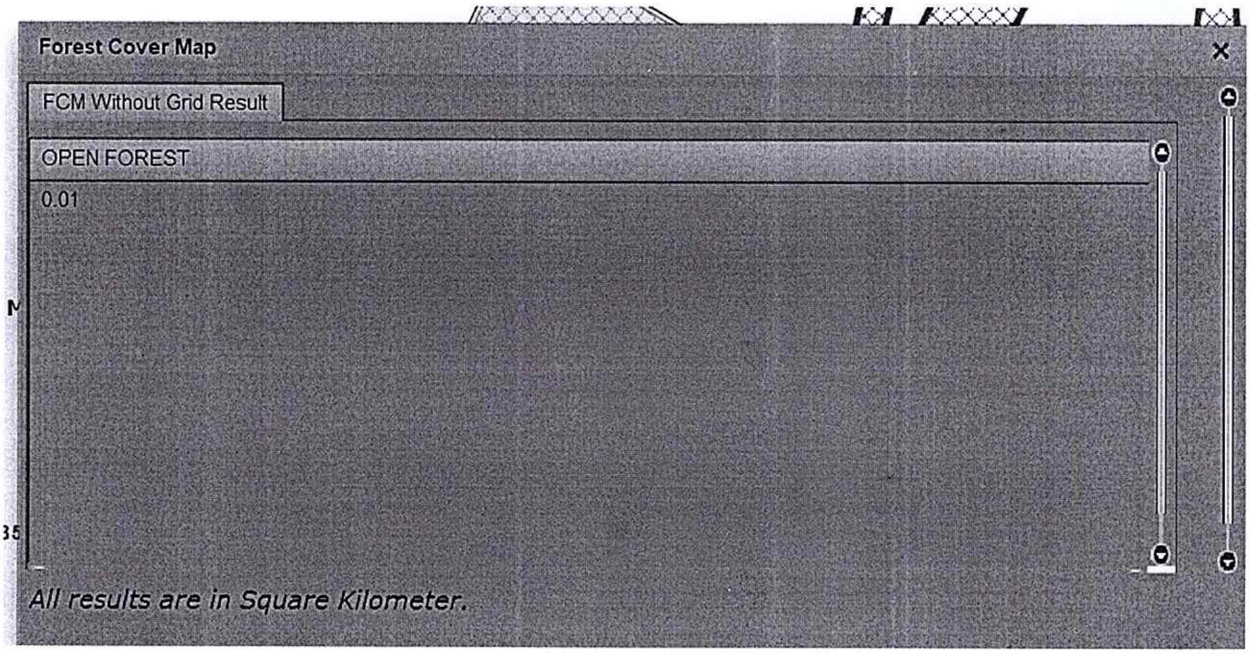
Forest Cover Map
FCM Without Grid Result
OPEN FOREST
0.01
All results are in Square Kilometer.

Patch-3

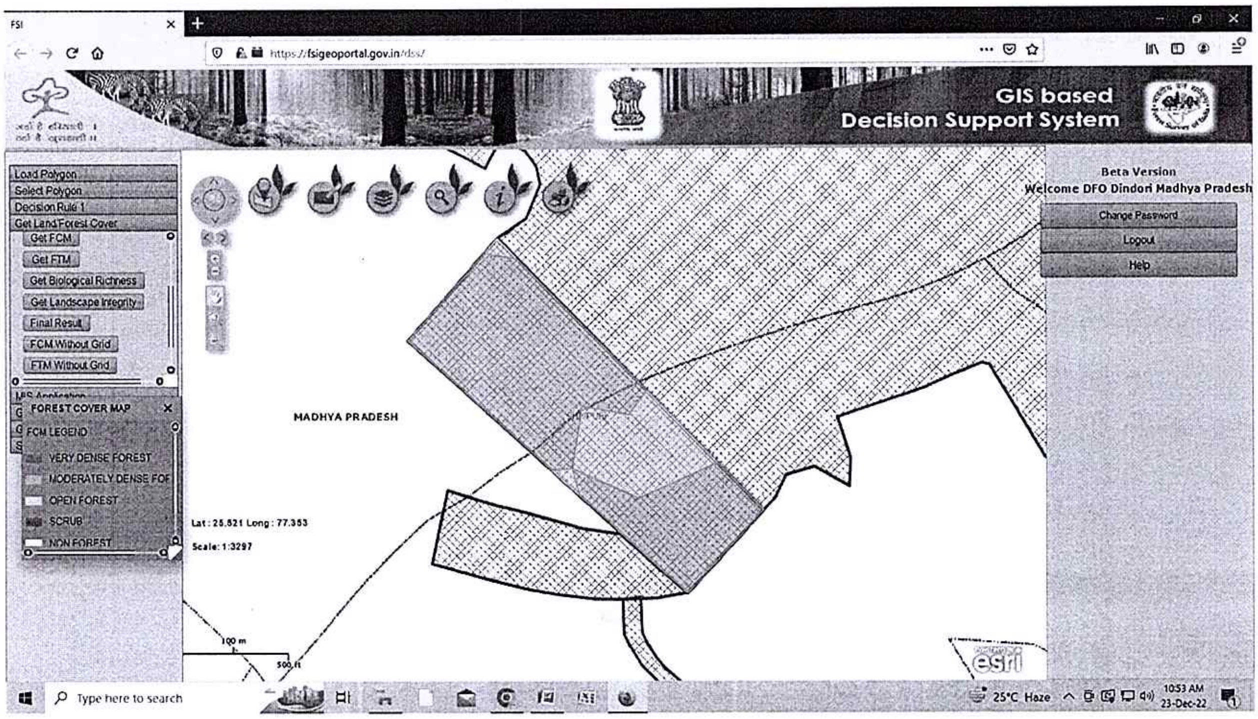

Forest Cover Map

FCM Without Grid Result

MDF	OPEN FOREST
0.04	0.01

All results are in Square Kilometer.

Patch-4

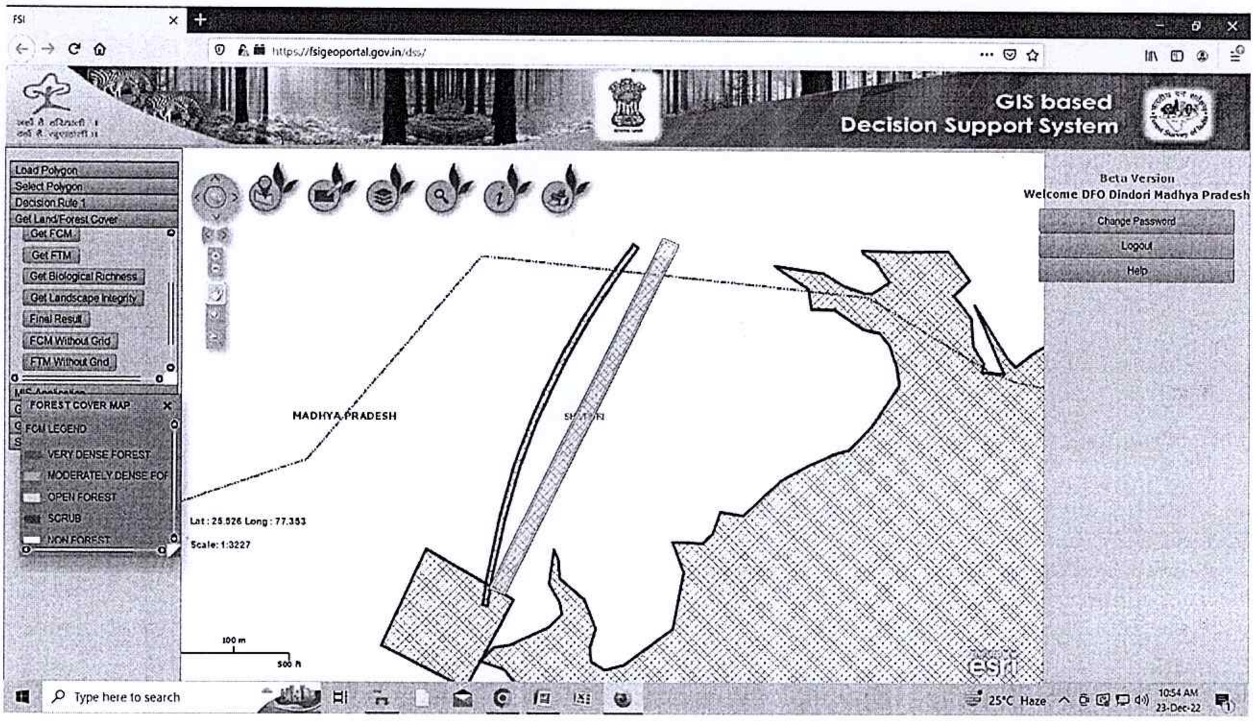

https://fsigeoportal.gov.in/dss/
GIS based
Decision Support System
Beta Version
Welcome DFO Dindori Madhya Pradesh
Change Password
Logout
Help
Load Polygon
Select Polygon
Decision Rule 1
Get Land/Forest Cover
Get FCM
Get FTM
Get Biological Richness
Get Landscape Integrity
Final Result
FCM Without Grid
FTM Without Grid
FOREST COVER MAP
FCM LEGEND
VERY DENSE FOREST
OPEN FOREST
SCRUB
MADHYA PRADESH
Lat : 25.526 Long : 77.353
Scale: 1:3227
100 m
500 ft
Type here to search
25°C Haze
10:54 AM
23-Dec-22

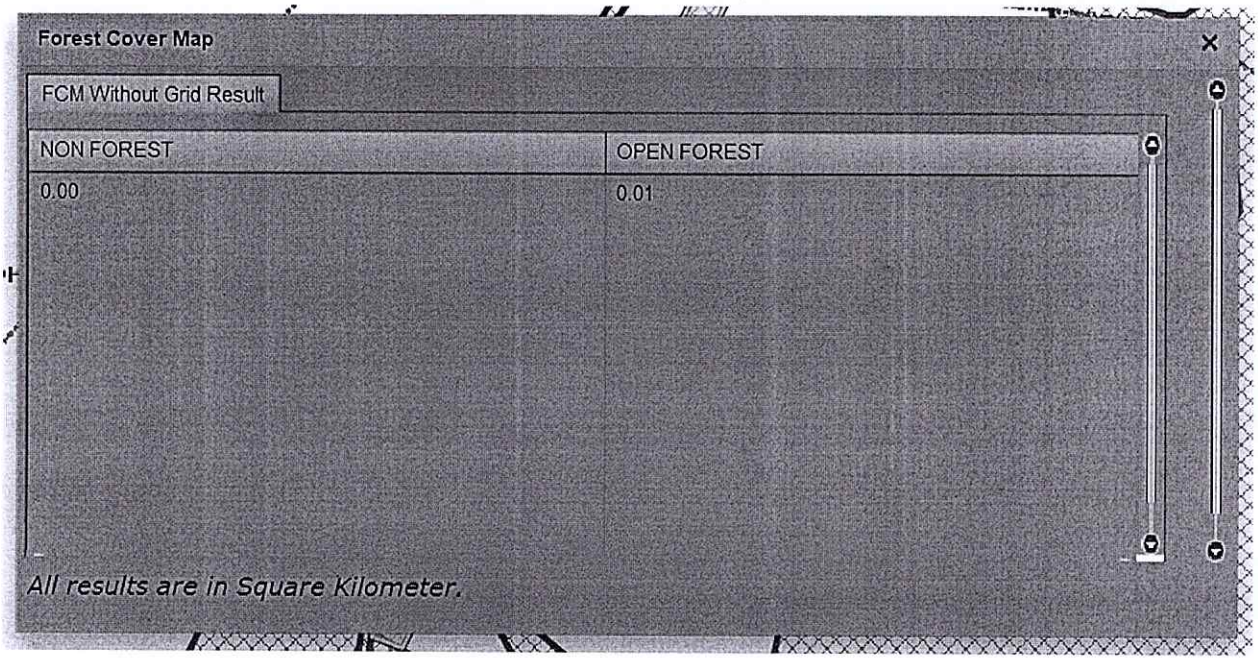

Forest Cover Map
FCM Without Grid Result
NON FOREST
OPEN FOREST
0.00
0.01
All results are in Square Kilometer.

Patchh-5

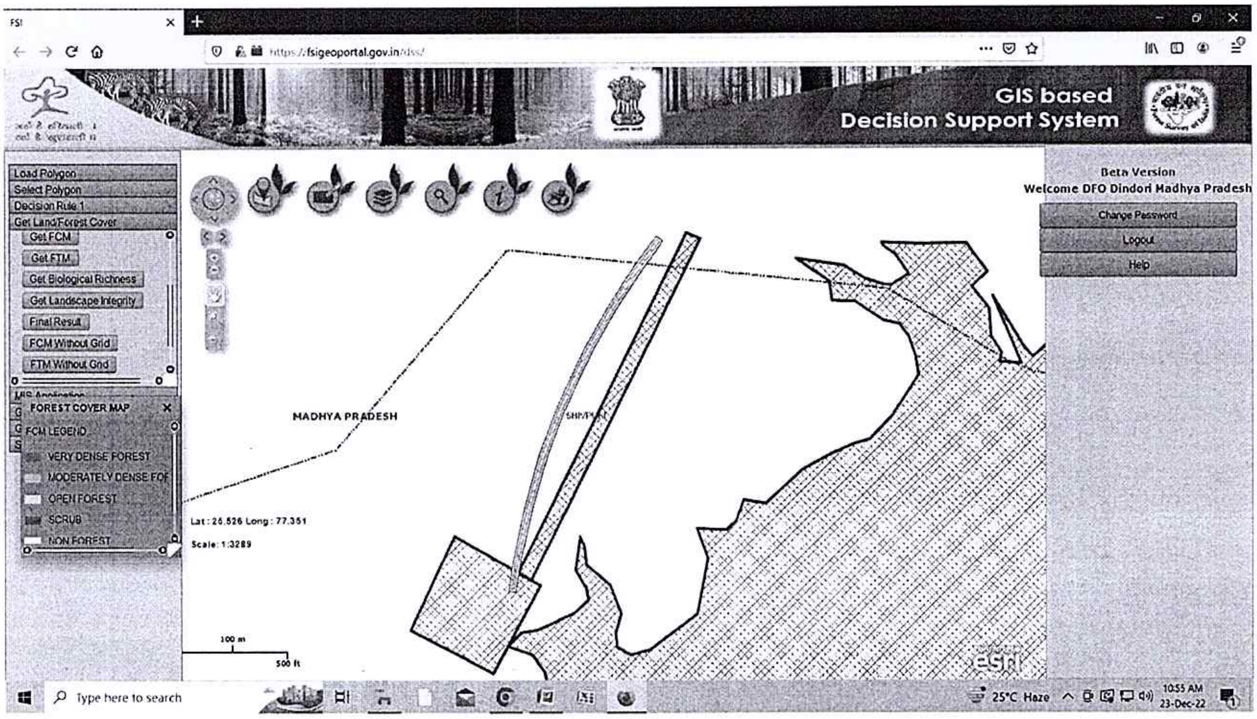

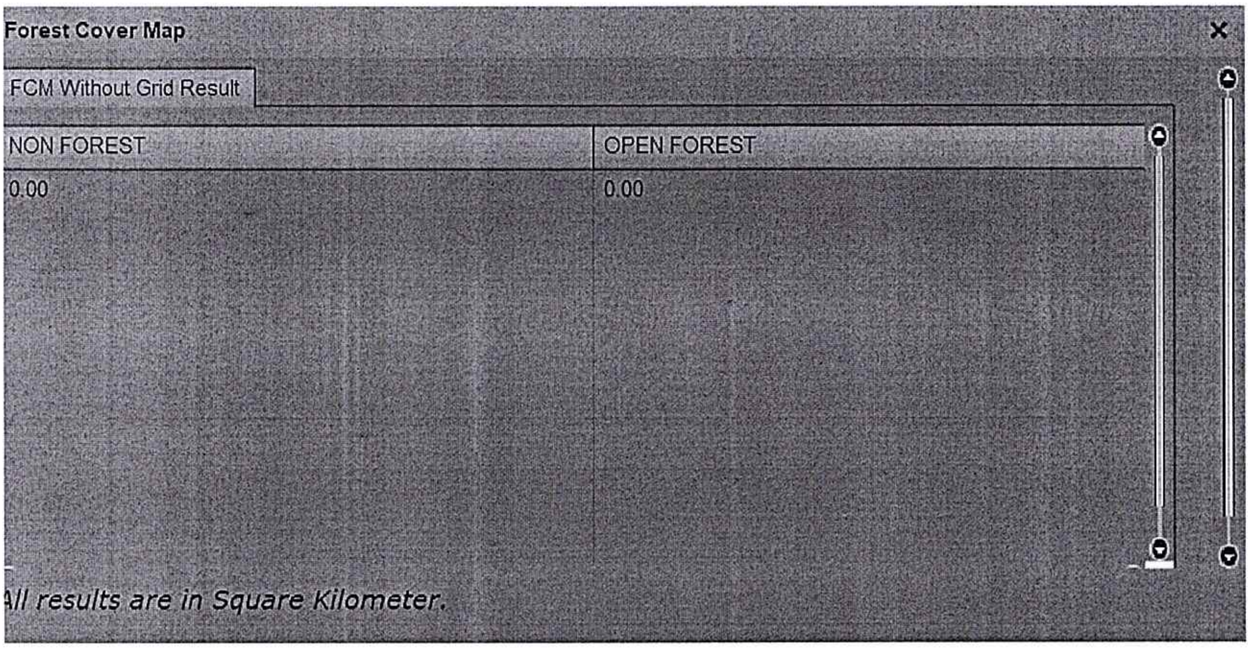

Forest Cover Map

FCM Without Grid Result

NON FOREST	OPEN FOREST
0.00	0.00

All results are in Square Kilometer.

Patch-6

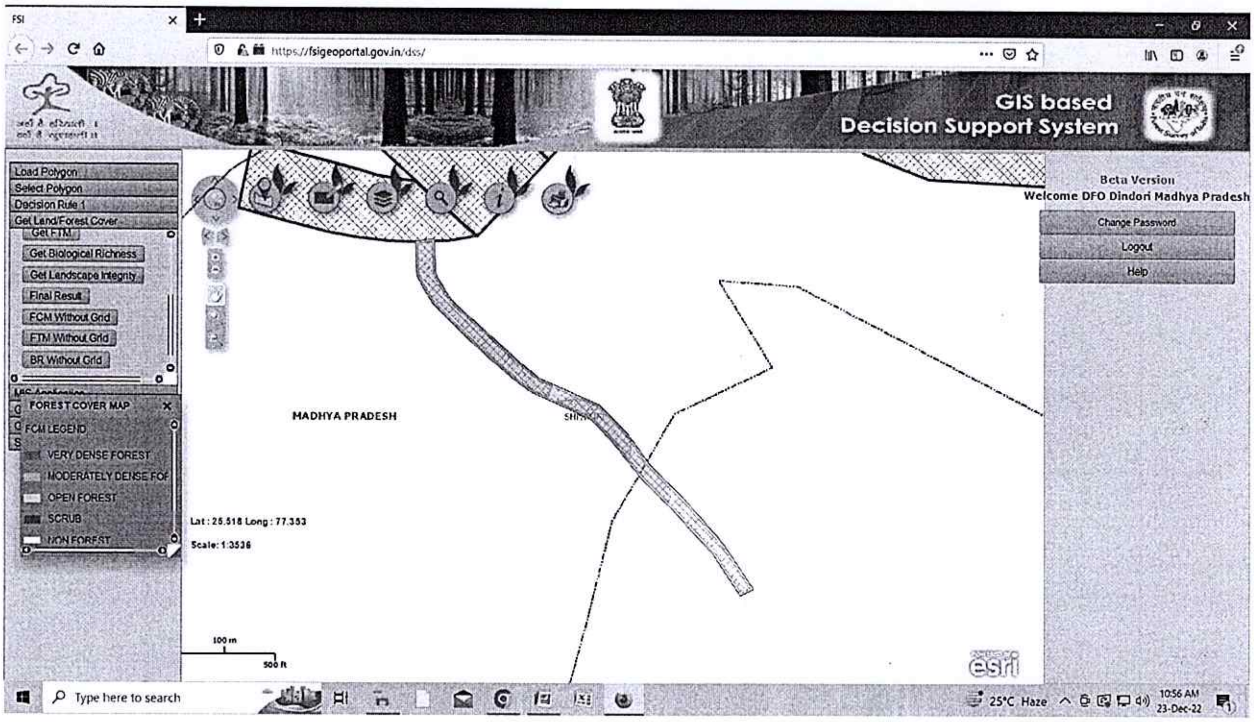

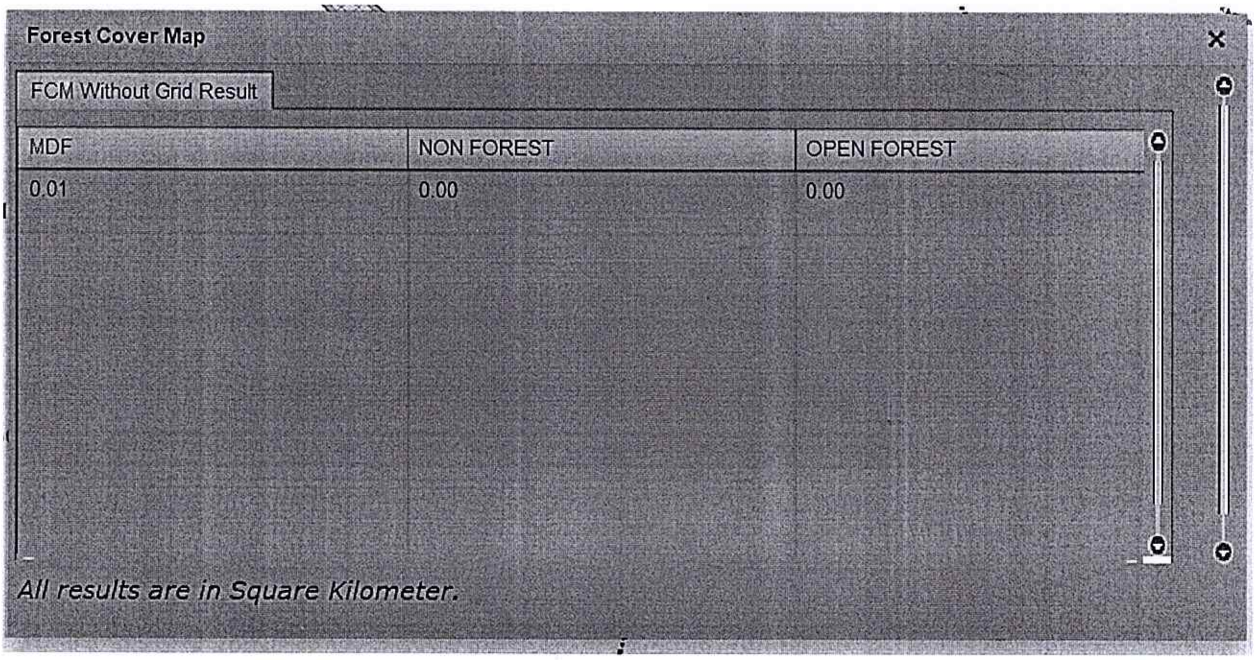

Forest Cover Map

FCM Without Grid Result

MDF	NON FOREST	OPEN FOREST
0.01	0.00	0.00

All results are in Square Kilometer.

Patch-7

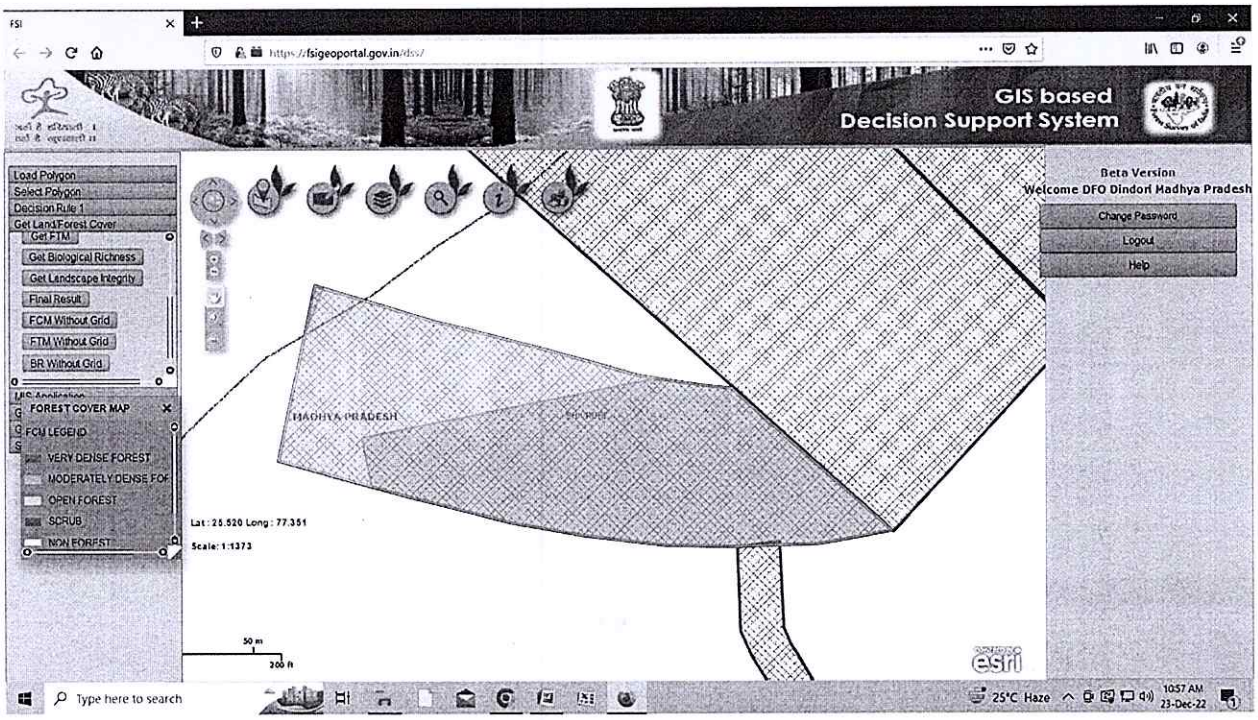

Forest Cover Map

FCM Without Grid Result

MDF	OPEN FOREST
0.01	0.01

All results are in Square Kilometer.

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ-25-13/2016/10-3

प्रति,

भोपाल, दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाले वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय का वहन बाबत।

--0--

वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि में स्थित वृक्षों का विदोहन व्यय का वहन संबंधित उपयोगकर्ता विभाग/संस्थान से लिया जाता है। चूँकि राज्य शासन के विभिन्न विभाग राज्य की संचित निधि से ही राशि प्राप्त करते है।

अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात व्यपवर्तित की गई वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग अपने व्यय पर ही कराना सुनिश्चित करेगा, जिसमें वृक्षों के चिन्हांकन से लेकर काष्ठ परिवहन तक के समस्त कार्यों का व्ययं शामिल होगा।

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/एफ-25-13/2016/10-3

भोपाल, दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन/लोक निर्माण/वाणिज्य, उद्योग और रोजगार/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

ी ओर सूचनार्थ।

सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22/12/2022

क्रमांक–आर–1011422/2457/2022/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25^{0}25'40.18'' से 25^{0}26'43.89'' उत्तर अक्षांश तथा 77^{0}29'18.85'' से 77^{0}30'19.41'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला– शिवपुरी
वनमण्डल – शिवपुरी

तहसील – शिवपुरी
वन परिक्षेत्र – शिवपुरी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाऐं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	टोका	टोका	राजस्व भूमि	1699/1/2	126.50	उत्तर– प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 19 तक ग्राम टोका की सीमा। पूर्व – प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 19 से 30 तक ग्राम टोका की सीमा। दक्षिण– प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक ग्राम टोका की सीमा। पश्चिम– प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 32 से 01 तक ग्राम टोका की सीमा।
				योग	126.50	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-31/2021/FC दिनांक 02.06.2022 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 126.42 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 126.50 हेक्टेयर गेर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के

उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/12/2019–20/अ–20(3) नजूल संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :– निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

भोपाल, दिनॉक: 22/12/ 2022

आर–1011422/2457/2022/10–3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर–1011422/2457/2022/10–3 दिनांक 22/12/2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/12/22
(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION

Bhopal Dated 22/12/2022

No.-R-1011422/2457/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $24^0$30'57.3" to $24^0$31'7.43" North Latitude and $82^0$16'16.86" to $82^0$16'22.49" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sivpuri
Forest Division - Sivpuri

Tahsil - Sivpuri
Forest Range - Sivpuri

S.	Details of Land Included					Forest Block Bouderies	
No	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Tonka	Tonka	Revenue Land	1699/1/2	126.50	North –	Proposed Boundary Pillar No. 01 to 19 village Tonka.
						East -	Proposed Boundary Pillar No. 19 to 30 village Tonka.
						South -	Proposed Boundary Pillar No. 30 to 32 village Tonka.
						West -	Proposed Boundary Pillar No. 32 to 01 village Tonka.
				Total	**126.50**		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-8/31/2021-FC dated 02/06/2022 and in lieu of 126-.42 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Sarkula Medium Lift Irrigation Project (Name of Project) of Executive Engineer

W.R. Division Shivpuri (Name of User Department/Agency/Perspn), the above mentioned Non Forest land of 126.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by the Collector Sivpuri order No.12/2019-20/A-20(3) NAZUL order dated 20.04.2021 of 126.50 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 23.011.2022 of SDM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Prade sh

(Ashok Kumar)
Additional Secretary
M.P. Govt, Forest Department

परिशिष्ट-4

5

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी, जिला शिवपुरी म0प्र0

क्रमांक/स्टेनो/एसडीएम/2020 /1095 पोहरी दिनांक 08/09/2020

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
(जनजातीय कार्य विभाग)
जिला शिवपुरी म0प्र0

विषय :- पोहरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पोहरी में [illegible] नवीन सरकूला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण करने के दौरान आने वाली वन बाधा की स्वीकृति हेतु (एफआरए प्रमाण-पत्र) वन संरक्षण अधिनियम 1950 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने बावत्।

संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक/ज.जा.का.वि./2018-19/4033 शिवपुरी दिनांक 20/08/2018।

---0000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के द्वारा तहसील पोहरी अंतर्गत नवीन सरकुला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण करने के दौरान आने वाली वन बाधा की स्वीकृति हेतु (एफआरए प्रमाण-पत्र) वन संरक्षण अधिनियम 1950 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया है।

उपरोक्त के संबंध में ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति पोहरी का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उपरोक्त के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर उपखण्डस्तरीय वनाधिकार समिति को प्रेषित किया गया जिसके आधार पर दिनांक 08/09/2020 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति पोहरी के ठहराव क्रमांक 03 द्वारा नवीन सरकूला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति के साथ प्रमाण-पत्र का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

अतः तहसील के अंतर्गत ग्राम पोहरी में [illegible] नवीन सरकूला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र पारित कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को अनुशंसा हेतु प्रेषित।

संलग्न - ग्राम वन समिति का अनापत्ति प्रस्ताव पत्र

(एन.पी. गुप्ता) 8/9/2020
अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
पोहरी, जिला शिवपुरी म0प्र0

3457
10.09.2020

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 एवं संशोधन नियम, 2012 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत पोहरी ....ग्राम........ पोहरी ....

ग्राम वनाधिकार समिति का अनापति/आपत प्रमाण पत्र

*****

मध्यप्रदेश के जिला शिवपुरी तहसील पोहरी, जनपद पंचायत पोहरी अन्तर्गत ग्राम पोहरी में प्रस्तावित नवीन सरकुला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण करने के दौरान आने वाली वन वाधा की स्वीकृति हेतु (एफआरए प्रमाण पत्र) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत चाहा गया है ।

उक्त प्रकरण के संवंध में ग्राम पंचायत ....पोहरी.....के ग्राम....पोहरी.... द्वारा दिनांक 02.10.24 को ग्राम वनाधिकार समिति/ग्राम सभा की वैठक का आयोजन किया गया जिसमें तहसील पोहरी अन्तर्गत ,ग्राम पोहरी में प्रस्तावित नवीन सरकुला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण में वन वाधा की स्वीकृति हेतु अनापति/आपत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई जो निम्नानुसार है -

1. वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहद वन भूमि में कोई भी हितग्राही प्रभावित हो रहा है अथवा नहीं । (~~हाँ/ना~~) नहीं
2. कोई भी वनाधिकार दावा शेष है अथवा नहीं ।(~~हाँ~~/ना) नहीं
3. वनभूमि पर आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं ।(हाँ/ना)
4. वनभूमि के अलावा क्या आवादी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है अथवा नहीं ।(~~हाँ~~/ना) नहीं
5. परियोजना के निर्माण हेतु वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन हो रहा है अथवा नहीं। (~~हाँ~~/ना) नहीं
6. प्रस्तावित नवीन सरकुला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य को किए जाने पर आपति है अथवा नहीं है ।(~~हाँ~~/ना) नहीं

विन्दुवार चर्चा के उपरान्त ग्राम वनाधिकार समिति/ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित नवीन सरकुला उदवहन सिंचाई योजना निर्माण कार्य हेतु अनापति/आपति के साथ प्रमाण पत्र का प्रस्ताव पारित किया जाता है ।

सचिव/सचिव ग्रा.व.अ.स.
ग्राम पंचायत पोहरी
ज.पं.पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

सहायक सचिव
ग्राम पंचायत पोहरी
ज०प० पोहरी (शिवपुरी)

सरपंच/अध्यक्ष ग्रा.व.अ.स.
ग्राम पंचायत.....पोहरी
ज.प.पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत पोहरी
पोहरी जि. शिवपुरी

(अशोक धाकड़)
कोटवार

7

दिनांक 02.10.2019 को ग्राम सभा/ग्राम वनाधिकार समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पोहरी ग्राम पंचायत पोहरी ज.पं. पोहरी जिला शिवपुरी

क्र.	उपस्थित ग्रामसभा सदस्य/ग्रा.व.स. के सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
01	दमाली आदि० (अध्यक्ष) ST	समिति अध्यक्ष [illegible]
02	नासिर खान (सदस्य) OBC	नासिर
03	पप्पू कुशवाह (सदस्य) OBC	पप्पू
04	श्रीमती शारदा आदिवासी (सदस्य) ST	शारदा
05	लालाराम सदस्य SC	
06	आनराम आदिवासी (सदस्य) ST	सरपंच ग्राम पंचायत पोहरी पोहरी जि. शिवपुरी
07	मोहन आदिवासी (सदस्य) (ST)	

सचिव/अध्यक्ष ग्रा.व.अ.स.
ग्राम पंचायत पोहरी
ज.पं.पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

सरपंच/अध्यक्ष ग्रा.व.अ.स.
सहायक सचिव
ग्राम पंचायत पोहरी पंचायत पोहरी शारदा
ज0पं0 पोहरी (शिवपुरी)
ज.पं.पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)
सरपंच ग्राम पंचायत पोहरी
पोहरी जि. शिवपुरी

कार्यालय अनुविभागीय अधिका[illegible] पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

क्रमांक/स्टेनो/2021/ 203 पोहरी, दिनांक 28/06/2021

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
(भू-अर्जन शाखा)
जिला शिवपुरी

कलेक्टोरेट शिवपुरी
05 JUL 2021

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बावत

संदर्भ :- राजकमल बिलडर्स प्राईवेट लिमिटेड का पत्र क्रमांक/14/कार्य/सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना/2021 दिनांक 07/06/2021

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि ग्राम पंचायत पोहरी अंतर्गत सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाली वन भूमि का अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रदाय करने के लिये नगर पंचायत पोहरी, ग्राम पंचायत उपसिल, ग्राम पंचायत पिपरघार, ग्राम पंचायत देवरीखुर्द का चाहा गया है।

उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में दिनांक 18/06/2021 को वन अधिकार उपखंड स्तरीय समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष आयोजित की गयी नगर पंचायत पोहरी, ग्राम पंचायत उपसिल, ग्राम पंचायत पिपरघार, ग्राम पंचायत देवरीखुर्द पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर प्रस्ताव ठहराव (प्रोसीडिंग की नकल) प्रस्तुत की गयी प्रस्तावों में सरकुला माध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाली वन भूमि का अधिग्रहण किये जाने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रस्ताव ठहराव के माध्यम से उपखंड समिति वन अधिकार समिति की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

अत: नगर पंचायत पोहरी, ग्राम पंचायत उपसिल, ग्राम पंचायत पिपरघार, ग्राम पंचायत देवरीखुर्द का उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति की सहमति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु के संबंध में प्रतिवेदन श्रीमान की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- ग्राम पंचायत पोहरी, उपसिल, पिपरघार, देवरीखुर्द के प्रस्ताव ठहराव की प्रति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति पोहरी की प्रोसेडिंग की छायाप्रति।

(जे.पी. गुप्ता)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग पोहरी जिला शिवपुरी

क्र.	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री जगदीशप्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष (SDM)	[signature]
2.	श्री एस.एस. श्रीवास्तव	SDO (वनविभाग)	[signature]
3.	श्री शैलेन्द्र आदिवासी	CEO JP पोहरी	[signature] 18/6/21
4.	श्री ओ.पी. पाण्डेय	सदस्य आ.जा.क विभाग	[signature]
5.	श्रीमति मिरो जाटव	सदस्य (लोकप्रतिनिधि)	
6.	श्रीमति कोमल आदि.	सदस्य (लोकप्रतिनिधि)	
7.	श्रीमति रामवती आदि.	सदस्य (लोकप्रतिनिधि)	

[signature]
जगदीश गुप्ता
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

बैठक की कार्यवाही का विवरण
दि: 18/06/2021
ठहराव क्र. 09

आज दिनांक 18/06/2021 को वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष ~~के स्थान~~ की अध्यक्षता में स्थान तहसील कार्यालय पोहरी पर समय 12:00 बजे से आयोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

बैठक में परियोजना के अंतर्गत डूब में जाने वाली वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का आयोजन किया गया जिसमें नगर पंचायत पोहरी, ग्राम पंचायत उपरिल, ग्राम पंचायत पिपधार व ग्राम पंचायत देवरी खुर्द की पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर प्रस्ताव, ठहराव (प्रोसिडिंग की नकल) प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रस्तावों में सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब में आने वाली वन भूमि का अधिग्रहण किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रस्ताव, ठहराव के माध्यम से उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति ~~क~~ की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई है।

[signature] [signature] [signature] [signature]

27

प्रस्ताव, ठहराव का परिक्षण समिति द्वारा किया गया परीक्षणोपरांत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों द्वारा की गई अनुशंसा पर उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से समस्त प्रस्ताव, ठहराव अनुसंशा की जा कर जिला वनाधिकार समिति की ओर भेजे

उपरोक्त ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले वनक्षेत्र में कोई भी वनाधिकार दावों की स्वीकृती की अनुसंशा नहीं की गई है और उपरोक्त वनक्षेत्र में कोई भी दावा लंबित नहीं है।

18-06-21
S.D.O [illegible]

जे0पी0 गुप्ता
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
परगना पोहरी जिला शिवपुरी (म0प्र0)

जे0पी0 गुप्ता
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
परगना पोहरी जिला शिवपुरी (म0प्र0)

[illegible] जिला शिवपुरी (म.प्र.)

ग्राम पंचायत पिपरधार जनपद पं. पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक ग्रा.पं. /2021 प्रतिलिपि ठहराव दिनांक - 11/01/21

प्रस्ताव क्रमांक -10

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत

प्रस्ताव क्रमांक -10

आज दिनांक 11/01/21 को ग्राम पिपरधार में ग्राम के बीच चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता श्री रामनिवास धाकड़ सरपंच द्वारा की गई। बैठक में पंचायत द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अंतर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वन भूमि अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम पिपरधार की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाकर अतः ठहराव प्रस्ताव श्रीमान जी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत पिपरधार
जनपद पोहरी (शिवपुरी)

प्रधान
प्रशासनिक समिति
ग्राम पंचायत पिपरधार
पोहरी (शिवपुरी)

कार्यालय ग्राम पंचायत उपसिल जनपद पंचायत पोहरी जि. शिवपुरी

प्रोसिडिंग नकल

दिनांक 15.4.2021

क्रमांक / ग्रा.स. 2021

प्रस्ताव क्रमांक - 12

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार अनापत्ति हेतु सहमति प्रदान करने बाबत।

ठहराव क्रमांक - 12

आज दिनांक 15.4.2021 को ग्राम पंचायत [illegible] में बीच चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता श्रीमान [illegible] सरपंच द्वारा की गई बैठक में सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है। जिसमें वन भूमि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम पंचायत की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ठहराव / प्रस्ताव पारित किया जाता है। अतः ठहराव प्रस्ताव [illegible] की प्रति आगे कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सत्य प्रतिलिपि

[signature]
सचिव
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी जि0 शिवपुरी

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी (शिवपुरी)

क्रमांक/ग्राम सभा/2021

प्रस्ताव क्रमांक-08

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत।

सत्य प्रतिलिपि

प्रस्ताव क्रमांक-08

आज दिनांक 17.4.2021 को ग्राम [illegible] में ग्राम के बीच चौपाल पर ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा बैठक की अध्यक्षता श्रीमति गायत्री धाकड़ सरपंच द्वारा की गई। बैठक में सचिव द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अंतर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार निजी भूमि ग्राम [illegible] की अधिग्रहण में ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। अतः प्रस्ताव [illegible] की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वो॰

सचिव
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी जि0 शिवपुरी

गायत्री

सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी (शिवपुरी)

क्रमांक / ग्रा.पं. 2021

प्रस्ताव क्रमांक - 09

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण अनुमति प्रदान करने बावत्।

सत्य प्रति लिपि

ठहराव क्रमांक 09

आज दिनांक 16.4.2021 को ग्राम भोजपुर में ग्राम के बीच चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रीमति गायत्री धाकड़ सरपंच द्वारा की गई। बैठक में सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अंतर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाता है जिसमें वन भूमि अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि व राजस्व भूमि ग्राम भोजपुर की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से ठहराव/प्रस्ताव पारित किया जाता है अतः ठहराव प्रस्ताव श्रीमान जी को ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी जि0 शिवपुरी

गायत्री
सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी (शिवपुरी)

कार्यालय ग्राम पंचायत - देवरीखुर्द जनपद पंचायत - पोहरी

क्रमांक / कप्र / ग्रामसभा / 2021 प्रोसीडिंग नकल दिनांक 15/04/21

प्रस्ताव क्रमांक 03	ठहराव क्रमांक 03
सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बावत्।	आज दिनांक 15/04/2021 को ग्राम आमरोदा सडकुआ में ग्राम चौपाल पर ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम सभा बैठक अध्यक्ष प्रधान श्री हरिराम धाकड की अध्यक्षता में बैठक समय 11 बजे से बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरपंच (प्रधान) द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वनभूमि का अधिग्रहण किया जाना है वनभूमि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम आमरोदा सडकुआ की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।
सत्यप्रतिलिपि	उपस्थित ग्रामसभा सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया है। अतः प्रस्ताव ठहराव श्रीमानजी की ओर, अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव
ग्राम पंचायत देवरीखुर्द
ज0प0 पोहरी जि0 शिवपुरी

हरिराम धाकड
प्रधान
प्रशासनिक सेवा समिति
ग्राम पंचायत देवरीखुर्द

कार्यालय ग्राम पंचायत उपसिल जनपद पंचायत पोहरी जि. शिवपुरी

प्रोसिडिंग नकल

दिनांक - 16.4.2021

क्रमांक / ग्रा.पं.उ. 2021

प्रस्ताव क्रमांक - 09

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत।

ठहराव क्रमांक - 09

आज दिनांक 16.4.2021 को ग्राम भोजपुर में ग्राम के बीच चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रीमति गायत्री धाकड़ सरपंच द्वारा की गई बैठक में सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम भोजपुर की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से ठहराव/प्रस्ताव पारित किया जाता है अतः ठहराव प्रस्ताव श्रीमान जी की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सत्य प्रतिलिपि

(हस्ताक्षर)
सचिव
ग्राम पंचायत उपसिल
जoपंo पोहरी जिo शिवपुरी

गायत्री
सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल
जoपंo पोहरी (शिवपुरी)

POCO
CLICK BY MR. RIGHT

कार्यालय ग्राम पंचायत उपसिल जनपद पंचायत पोहरी जि. शिवपुरी

प्रोसिडिंग - रजि. दिनांक - 17.4.2021

क्रमांक/ग्रा.प./ग्रा.स.-2021-

प्रस्ताव क्रमांक - 08

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत।

ठहराव क्रमांक - 08

आज दिनांक 17.4.2021 को ग्राम कोल्हापुर में ग्राम के बीच चौपाल पर ग्रामसभा का आयोजन किया गया ग्रामसभा बैठक की अध्यक्षता श्रीमति गायत्री धाकड़ सरपंच द्वारा की गई बैठक में सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत सकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वन अधिकार नियम 2006 के अन्तर्गत 77 हे. का निजी भूमि ग्राम कोल्हापुर की अधिग्रहण में ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाता है अतः ठहराव प्रस्ताव जनपद की ओर आगे कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी जि0 शिवपुरी

गायत्री
सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी (शिवपुरी)

कार्यालय ग्राम पंचायत उपसिल जनपद पंचायत पोहरी जि. शिवपुरी

प्रोसिडिंग नकल

दिनांक - 15.4.2021

क्रमांक / ग्रा.पं./2021

प्रस्ताव क्रमांक - 12

सरकुला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत।

ठहराव क्रमांक - 12

आज दिनांक 15.4.2021 को ग्राम मथाखुर्द में बीच चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता श्रीमति गायत्री धाकड़ सरपंच द्वारा की गई बैठक में उपसचिव द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है। जिसके अन्तर्गत सरकुला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वन भूमि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम मथाखुर्द की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ठहराव/प्रस्ताव पारित किया जाता है अतः ठहराव प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी जि0 शिवपुरी

गायत्री
सरपंच
ग्राम पंचायत उपसिल
ज0पं0 पोहरी (शिवपुरी)

POCO
CLICK BY MR. RIGHT

कार्यालय ग्राम पंचायत - देवरीखुर्द जनपद पंचायत - पोहरी

क्रमांक / म.प्र./ ग्रामसभा/2021 प्रोसीडिंग नकल दिनांक 15/04/21

प्रस्ताव क्रमांक 03

सरकूला सिंचाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बावत।

ठहराव क्रमांक 03

आज दिनांक 15/04/2021 को ग्राम आमरौदा सडकुआ में ग्राम चौपाल पर ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम सभा बैठक अध्यक्ष प्रधान श्री हरिराम धाकड की अध्यक्षता में बैठक समय 11 बजे से बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरपंच (प्रधान) द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकूला सिंचाई परियोजना स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत सरकूला सिंचाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वनभूमि का अधिग्रहण किया जाना है वनभूमि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम आमरौदा सडकुआ की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्रामसभा सदस्यों द्वारा सर्व सहमति से प्रस्ताव ठहराव पारित किया गया है।

अतः प्रस्ताव ठहराव श्रीमानजी की ओर, अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत देवरीखुर्द
जनपद पोहरी जि० शिवपुरी

हरिराम धाकड़
प्रधान
प्रशासनिक सेवा समिति
ग्राम पंचायत देवरीखुर्द
जनपद पंचायत पोहरी

POCO
CLICK BY MR. RIGHT

10/13/22, 9:15 PM IMG-20210529-WA0050.jpg

कार्यालय ग्राम पन्चायत पिपरबार जनपद पंचा. पोहरी जिला शिवपुरी (म०प्र०)

क्रमांक/ग्रा.प./ग्रा.स./2021 प्रोसिडिंग नकल दिनांक 14/05/21

प्रस्ताव क्रमांक -10

सरकुला सिन्चाई परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बावत

सत्यप्रतिलिपि

ठहराव क्रमांक -10,

आज दिनांक 14/05/21 को ग्राम पिपरबार में ग्राम के बीच चौपाल पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता श्री ब्रजमोहन धाकड़ सरपंच द्वारा की गई। बैठक में सरपंच द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकुला सिन्चाई परियोजना स्वीकृत है। जिसके अंतर्गत सरकुला सिन्चाई का निर्माण किया जाना है जिसमें वनभूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वन भूमि अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि व निजी भूमि ग्राम पिपरबार की अधिग्रहण में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।

उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाता है अतः ठहराव प्रस्ताव श्रीमान जी की ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव
ग्राम पंचायत पिपरबार
जप० पोहरी (शिवपुरी)

प्रधान
प्रशासनिक समिति
ग्राम पंचायत पिपरबार
पोहरी (शिवपुरी)

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1 1/1

कार्यालय नगर परिषद पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0

क्रमांक/2021/57 पोहरी, दिनांक :- 27/05/2021

//अनापत्ति प्रमाण-पत्र//

नगर परिषद पोहरी क्षेत्र में सरकुला मध्यम सिंचाई योजना के तहत सरकुला डैम बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नगर परिषद सहित आस-पास के क्षेत्र में फसलों की सिंचाई हेतु एवं आमजन को पीने हेतु पानी की उपलब्धता होगी। डैम के निर्माण में नगर परिषद पोहरी का कुछ क्षेत्र डूब में आ रहा है, जिस पर नगर परिषद पोहरी को कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पोहरी जिला शिवपुरी

POCO
CLICK BY MR. RIGHT

Portal Home | | Administration & Settings | Logout

Main Menu
[iccems mp admin1]
State- Madhya Pradesh
23 Dec 2022, 14:40:13 IST

e-Green Watch

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

परिशिष्ट -5

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

Land Received from UA against FCA projects for Compensatory Afforestation

Project Name : SARKULA MEDIUM LIFT IRRIGATION PROJECT
Project Type : Irrigation

Total Land Diverted : 126.420

Land type * --Select--
Category of CA Land* --Select--

Select Circle * --Select--
Select Division * --Select--

Select Range * --Select--

Site Name/Compartment /Block Details : *

Location Details(Optional)

Shape of Land received for CA:* --Select--

Area of Land Recevied for CA (In Hact.) *

Area of Land that has already been received(In Hact.): 126.500

Upload GPS File Browse... No file selected.
(Please upload KML/KMZ file only.)

Upload Scanned copy of Map of the land received for CA Browse... No file selected.
(Please upload JPG/jpg file only.)

SUCCESS: CA Land Details has been Saved/Update Successfully

Save The CA Land Details Cancel

Edit/update - Land Received from UA against FCA projects for Compensatory Afforestation

S.No.	Site Name	Land Type	Land Category	Land Area(in Ha)	District	Range	Notification order No.	Notification Status	
1	PF-885 - kariyara	Degraded Notified Forest	CA	50.000		Satanwara [Shivpuri(T)]			
2	RF-432 -	Degraded Notified Forest	CA	27.000		Karera [Shivpuri(T)]			

3	PF-1057 - Aaspur	Degraded Notified Forest	CA	50.000		Karera [Shivpuri(T)]			
4	Village Tonka Khasra No. 1699/1/3 -	Revenue_land (Non-forest)	CA	126.500	Shivpuri [Shivpuri]	Shivpuri [Shivpuri(T)]	012/2019-20 /A-20(3)nazul-dated- 20/04/2022	Notified Land	
			Total	253.500					